न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म०प्र०, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक । २००५ अपील

A·1524-I/05

श्री ए०के० अग्रवाल एडवो० द्वारा आज दि० CF 19-9-05 को प्रस्तुत ।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

14 SEP 2005

19.9.05 Notes

14.9.05 K. AGARWAL Ac

१- बाबूलाल पुत्र बजरंगा
२- गजानन्द पुत्र बजरंगा
निवासीगण ग्राम डाबरता परगना एंव जिला- श्योपुर कलां (म०प्र०)
३- मु० सीतापुत्री बजरंगा पत्नी सीताराम निवासी- बाली रोड-श्योपुरकलां ।
४- महावीर पुत्र जगन्नाथ
५- राधेश्याम पुत्र जगन्नाथ
६- रामकल्याण पुत्र जगन्नाथ
सभी जाति खाती, निवासीगण मोती कुंज के सामने, बड़ौदा रोड, श्योपुर ।
७- मु० कमेता पुत्री जगन्नाथ पत्नी मांगीलाल, निवासी- दांतरदा परगना एंव जिला श्योपुर (म (म०प्र०)
८- मु० दाखाबाई पुत्री गोरधन पत्नी रामकिशन जाति खाती, निवासी -ग्राम चन्द्रपुरा, पर० एंव जिला श्योपुर (म०प्र०) ।

------- अपीलान्ट्स

बनाम

१- मांगीलाल पुत्र गोरधन जाति खाती निवासी- ग्राम जलालपुरा, तेहसील एंव जिला- श्योपुर (म०प्र०)
२- बृजेश पुत्र प्रभूलाल जाति-कारीगर, निवासी कस्बा बड़ौदा कुंज, जिला श्योपुर
३- मु० मिथलेश पुत्री प्रभूलाल पत्नी रविशंकर, निवासी-ग्राम चन्द्रपुरा परगना एंव जिला- श्योपुर (म०प्र०)

Xxxix(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 1524–एक/2005 अपील जिला श्योपुर कलॉ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एव अभि0 के हस्ता.
6-4-16	अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा पकरण कमांक 320/2000–01 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–05–2005 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत यह अपील प्रस्तुत की गई है। 2/ अवलांट के अभिभाषक श्री ए.के.अग्रवाल एंव रिस्पा0 के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी के तर्क पूर्व पेशी पर सुने गये । उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन परिलक्षित है कि मौजा डावरता स्थित भूमि कुल किता तीन कुल रकबा तीन वीघा सत्रह विस्वा के सम्बन्ध में बटवारा करने हेतु आवेदन अनावेदक क-1 ने अपर कलैक्टर श्योपुर को दिया था, जिस पर से अपर कलेक्टर ने प्रकरण कमांक 24/2000–01 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 2–3–01 से घरू बटवारे के आधार पर बटवारा स्वीकृत कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर पकरण कमांक 320/2000–01 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–05–2005 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील हुई है। 4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कानुकम में देखना है कि वादग्रस्त भूमि का बटवारा अपर कलेक्टर ने स्वस्तर	

से किया है–क्या अपर कलेक्टर व्दारा मूल न्यायालय की हैसियत से बटवारा आदेश पारित करने हेतु सक्षम हैं ?

म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा–178 इस प्रकार है :–

धारा 178 – खाते का विभाजन –

(1) यदि किसी खाते में, जिस पर धारा 59 के अधीन कृषि के प्रयोजन के लिये निर्धारण किया गया, एक से अधिक भूमिस्वामी हों तो उनमें से कोई भी भूमिस्वामी उस खाते में के अपने अंश के विभाजन के लिये तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा।

(2) तहसीलदार, सह–भूधारियों की सुनवाई करने के पश्चात् , खाते को विभाजित कर सकेगा और उस खाते के निर्धारण को इस संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार प्रभावित कर सकेगा।

स्पष्ट है कि संहिता की धारा 178 की शक्तियों के प्रयोग के लिये तहसील न्यायालय मूल न्यायालय है । कलेक्टर/अपर कलेक्टर न्यायालय को बटवारा करने की शक्तियॉ प्राप्त नहीं हैं।

5/ यदि कलेक्टर/ अपर कलेक्टर को तहसील न्यायलय से वरिष्ठ अपीलीय न्यायालय होना माना जाय, तब धारा 178 के अंतर्गत तहसील न्यायालय व्दारा पारित आदेश के विरूद्ध संहिता की धारा 44 एंव 50 के अंतर्गत अपील/निगरानी न्यायालय की स्थिति इस प्रकार है –

1. संहिता की धारा 178 के अंतर्गत तहसील न्यायालय पारित आदेश के विरूद्ध धारा 44 के अंतर्गत प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी को , अनुविभागीय अधिकारी व्दारा प्रथम अपील में पारित आदेश के विरूद्ध द्वित्तीय अपील आयुक्त/अपर आयुक्त को, तदुपरांत राजस्व मण्डल में निगरानी होगी।
2. तहसील न्यायालय व्दारा संहिता की धारा 178 के अंतर्गत पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध धारा 50 के अंतर्गत निगरानी सीधे राजस्व मण्डल में होगी।

Xxxix(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 1524-एक/2005 अपील जिला श्योपुर कलॉ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि0 के हस्ता.
	उपरोक्त से स्पष्ट है कि संहिता की धारा 178 के अधीन कार्यवाही विचारित करने की शक्तियॉ कलेक्टर/ अपर कलेक्टर को नहीं है, जिसके कारण अपर कलेक्टर व्दारा प्रकरण कमांक 24/2000-01 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 2-3-01 दोषपूर्ण है तथा इन तथ्यों पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा पकरण कमांक 320/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-05-2005 में ध्यान न देने से उनके व्दारा पारित आदेश भी दोषपूर्ण है। 6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा पकरण कमांक 320/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-05-2005 एंव अपर कलेक्टर व्दारा प्रकरण कमांक 24/2000-01 बी 121 में पारित आदेश दिनांक 2-3-01 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार श्योपुर कलॉ की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह समस्त सहखातेदारों को व्यक्तिगत सूचना देकर एंव सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये संहिता की धारा 178 में दिये गये बटवारा नियमों के अनुरूप पुनः कार्यवाही करें। सदस्य	